फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री के.जी.झंवर, ललित झंवर - वकील अपीलार्थी 2. श्री प्रकाश पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री गणेशलाल पिता श्री भेरूलाल चमार, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. मु. दाखी पिता श्री मेघा जी चमार, निवासी कपासन के बजाय** **1.1. मु.गीता पुत्री दाखी पत्नि श्री उदा जी चमार, निवासी हथियाना, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **1.2. मु. बदामी पुत्री दाखी पत्नि मागु जी चमार, निवासी लालजी का खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 21/2006 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2006, बउनवानी श्री दाखी बनाम तहसीलदार कपासन**	

निर्णय

दिनांक 28.10.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 21/2006 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2006, बउनवानी श्री दाखी बनाम तहसीलदार कपासन, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 की पूर्वाधिकारी श्रीमती दाखी द्वारा तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1227 दिनांक 05.10.2005 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि मौजा कपासन के आराजी संख्या 731, 733, 735, 736, 737, 738 व 744 में श्रीमती दाखी की माताजी श्रीमती काली के देहान्त उपरान्त विरासत से श्रीमती दाखी का नाम अंकित किया गया। उक्त आराजीयात श्रीमती कालीबाई द्वारा उसकी पुत्री श्रीमती दाखीबाई के नाम उसकी जीवन काल में दिनांक 01.05.1989 से वसीयत कर दी, जिसकी पालना में नामान्तरकरण श्रीमती दाखीबाई के नाम दर्ज कर दिया। परन्तु तहसीलदार कपासन द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1227 दिनांक 05.10.2005 से उक्त आराजीयात को पुनः मृतक श्रीमती काली बाई के नाम करने का आदेश पारित कर दिया। जिसे निरस्त कर पुनः नामान्तरकरण श्रीमती दाखी बाई के नाम दर्ज किया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	• अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रत्यर्थी-1 के पुर्वाधिकारी श्रीमती दाखीबाई द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 13.07.2006 से उक्त नामान्तरकरण संख्या 1227 का निरस्त करते हुए मौजा कपासन के आराजी संख्या 731, 733, 735 से 738 व 744 मृतक कालीबाई बेवा मेगा के नाम 1/2 हिस्से से हटाया जाकर श्रीमती दाखी पिता मेगा 1/2 हिस्सा से खातेदारी दर्ज अंकित किये जाने का आदेश प्रसारित किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के उक्त निर्णय दिनांक 13.07.2007 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाधित अपील दिनांक 16.11.2022 को पेश की। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 23.10.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं गुणावगुण सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। **अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** उक्त अपील सुनने का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को नहीं था चुंकि नामान्तरकरण संख्या 1227 तहसीलदार द्वारा पारित किया गया, जिसकी अपील जिला कलक्टर समक्ष लाई होती है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1227 सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया, जिसमें सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2645 दिनांक 31.05.1994 को निरस्त किया गया था। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय को आज दिनांक तक कही चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कपासन द्वारा कायम पत्रावली संख्या 07/2004 की थी, उसे तलब नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों को सुने जाने के बाद नामान्तरकरण पारित किया गया था। उपखण्ड अधिकारी समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह एक आवश्यक पक्षकार था, जिससे पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकार अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी, जिस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के हक व अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने उपरान्त भी उसे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार कपासन के आदेश दिनांक 05.10.2005 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 23(2) पेज 1241, आरआरडी 96 पेज 457, आरआरडी 98 पेज 607, आरआरटी 18(2) पेज 1355, आरएलडब्ल्यु 18(3) पेज 1914 पेश किये। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस एवं प्रार्थना पत्रों के लिखित जबाव में प्रस्तुत किया कि** प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है। उक्त भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित है, जिसमें वह पक्षकार है और उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी आरम्भ है, अपीलार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष तथ्यों का छिपाते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुए मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमाया जावें। इसी प्रकार अपीलार्थी हस्तगत प्रकरण में व्यथीत व्यक्ति नहीं है, ऐसे में उसे यह अपील पेश करने का भी अधिकार नहीं है। विवादित भूमि मूल रूप से मूल पुरूष श्री मेघा चमार के नाम दर्ज थी। श्रीमती काली बाई उसकी पत्नि, श्री भेरूलाल पुत्र एवं श्रीमती दाखी बाई पुत्री होकर विधिक वारिस थे। श्री मेघा की देहावसान के उपरान्त उक्त भूमि श्रीमती काली बाई व श्री भेरूलाल के नाम दर्ज हुई। उस वक्त श्रीमती दाखी बाई जो एक विधिक वारिस थी, फिर भी उसके नाम भूमि दर्ज नहीं की गई। श्रीमती कालीबाई द्वारा जो उसके हिस्से में 1/2 भूमि आई थी, जरिये वसीयत श्रीमती दाखीबाई जो उसकी पुत्री है, के नाम की और श्रीमती कालीबाई की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्से की भूमि उसकी पुत्री के नाम दर्ज हुई। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर द्वारा उसके निर्णय दिनांक 31.12.1994 में उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर वारिसान की जांच एवं वसीयत की जांच कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने बाबत रिमाण्ड किया था। परन्तु तहसीलदार कपासन द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर आलौच्य नामान्तरकरण पारित कर दिया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए निरस्त किया और भूमि श्रीमती दाखीबाई के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया गया और पारित नामान्तरकरण के संबंध में प्रस्तुत अपील समक्ष न्यायालयो में विचाराधीन है। इसी प्रकार विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद की कार्यवाही में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसका अंकन जमाबंदी में भी किया गया। विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालयों में वाद की कार्यवाही लम्बित है, जिसमें पक्षकारान के हक व अधिकार तय किये जावेगे, ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें। **तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।** **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर मनन उपरान्त यह पाया गया कि विवादित भूमि के संबंध विवाद भाई व बहन के मध्य होने से न्यायहित में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाकर प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी तकनिकी आधार पर स्वीकार किया जाता है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसका अर्थ नहीं है कि अपीलार्थी के हक व अधिकार उसके पक्ष में तय किये गये है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जिसके खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख उज्र अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसको पक्षकार नहीं बनाये जाने से निर्णय की जानकारी नहीं होना बताया गया। इसके खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी आरम्भ से थी क्योंकि उक्त निर्णय की पालना की जा चुकी थी और उक्त आराजीयात की भूमि उसके एवं प्रत्यर्थी-1 के नाम 1/2 व 1/2 हिस्से दर्ज हो गई थी और उसके एवं प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि का बेचान विभिन्न क्रेतागणों को किया गया, जिसमें संबंध में अपीलार्थी स्वयं द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपील एवं वाद प्रस्तुत किये गये है, जो विचाराधीन है। ऐसे में उसे निर्णय की जानकारी न हो, ऐसा संभव नहीं है। इस न्यायालय द्वारा परिक्षणोंपरान यह पाया गया है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत जमाबंदी से अपीलाधीन निर्णय की पालना किया जाना पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-1 के द्वारा बेचान की गई भूमि के संबंध में क्रेतागणों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण/वाद/अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश भी पारित हुए है, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी ससमय नहीं हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लगभग 16 वर्ष उपरान्त अपील पेश की गई, जिसकी देरी हेतु प्रस्तुत कारण विश्वसनीय एवं संतोषप्रद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की जानकारी विभिन्न वादों/अपील से ससमय होना प्रमाणित होता है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते हैः

आरबीजे (17) 2010 पेज 389 में माननीय उच्च न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान ने यह मत प्रतिपादित किया है कि-

INDIAN LIMITATION ACT, 1963 – Section 5 – When there is no sufficient cause shown for not filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned. The appeal is barred by three days and learned Counsel for the appellant has filed an application under section 5 of the Limitation Act for condonation of delay. No sufficient cause has been shown in the application for not filing appeal within time. Hence, the application under section 5 of the Limitation Act as well as this appeal is hereby dismissed.

आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)

परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यया यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late fiing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की गई।

पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित वसीयत से नामान्तरकरण संख्या 2645 दिनांक 31.05.1994 की अपील पर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 31.12.1994 से प्रकरण सभी तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोई प्रकरण दर्ज किया हो या उक्त निर्णय की पालना में अपेक्षित जांच की कार्यवाही कर कोई निर्णय पारित किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1227 दिनांक 05.10.2005 स्वीकृत करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया का पालना किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य स्वयं अपीलार्थी द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि बाबत दाखीबाई द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा-88, 89 एवं 188 बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 33/1995 नये नम्बर 75/1999 होकर वर्तमान में विचाराधीन होना बताया गया है। उक्त के साथ ही एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 29/1995 बउनवानी दाखी बनाम गणेशलाल वगैरा निर्णय दिनांक 30.05.1995 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया जाना बताया गया। प्रकरण से संबंधित भूमि में बराबर हिस्सा दर्ज रहा है। जमाबंदी नकल संवत 2074-77 कि ग्राम कपासन, तहसील कपासन के खाता संख्या 339 में अंकित दाखिले अनुसार भी वाद संख्या 75/1999 के निर्णय होने से दाखी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का नोट अंकन किया गया है।

यहा लेख किया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि मूल रूप से मूल पुरूष श्री मेघा चमार के नाम दर्ज थी। श्रीमती काली बाई उसकी पत्नि, श्री भेरूलाल पुत्र एवं श्रीमती दाखी बाई पुत्री होकर विधिक वारिस थे। श्री मेघा की देहावसान के उपरान्त उक्त भूमि श्रीमती काली बाई व श्री भेरूलाल के नाम दर्ज हुई। उस वक्त श्रीमती दाखी बाई जो एक विधिक वारिस थी, फिर भी उसके नाम भूमि दर्ज नहीं की गई। श्रीमती कालीबाई द्वारा जो उसके हिस्से में 1/2 भूमि आई थी, जरिये वसीयत श्रीमती दाखीबाई जो उसकी पुत्री है, के नाम की और श्रीमती कालीबाई की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्से की भूमि उसकी पुत्री के नाम दर्ज हुई। हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है। हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय पाता है कि विवादित भूमियां मूल पुरूष श्री मेघा चमार के विधिक वारिसान श्री भेरूलाल एवं श्रीमती दाखीबाई के नाम बराबर हिस्से से अंकित किया जाना अपेक्षित थी। इस प्रकरण में यदि कोई वसीयत न भी होती तो, पुत्री के हक को इन्कार नहीं किया जा सकता है। जहां तक नामान्तरकरण की कार्यवाही में हक व अधिकार का प्रश्न है, निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature. Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit.

2002 आरआरटी (1) पेज 77 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 113- Mutation - Once the dispute about the right to succession was raised at the time of mutation, it was not opento revenue authorities to adjudicate upon the right to succession but the matter should have been referred to the civil court.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 90/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/95) **श्री गणेशलाल बनाम श्रीमती दाखी के बजाय गीता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने हक व अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करें। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा सभी पहलुओं पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करते हुए निर्णय दिनांक 13.07.2006 पारित किया है, उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2006 यथावत रखा जाता है। यह निर्णय विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद की कार्यवाही में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	